राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 जयपुर, दिनांक

आदेश

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 06.11.2024 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 में संशोधन कर मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों (डीपीसीआर) के अनुरूप भू–उपयोग परिवर्तन हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर सक्षमता प्रदान की गई है। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जिन नगरीय निकायों के मास्टर प्लानों में डीपीसीआर संलग्न कर अधिसूचित है, उनकों छोडकर अन्य सभी शहरों में डीपीसीआर लागू किये गये है।

उक्त के परिपेक्ष्य में सभी निकायों को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. जिन शहरों के अधिसूचित मास्टर प्लान में डीपीसीआर शामिल किये हुए है, उनमें मास्टर प्लान के डीपीसीआर यथावत लागू रहेगें। स्थानीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान में शामिल डीपीसीआर को अधिक्रमित करते हुए अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी डीपीसीआर को लागू करने अथवा स्थानीय क्षेत्रीय विशिष्ट आवश्यकताओ/मास्टर प्लान के विशिष्ट प्रावधानों के कारण इसमें संशोधन प्रस्तावित कर लागू करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाकर संबंधित निकाय में लागू करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अन्य सभी शहरों जिनमें अधिसूचित मास्टर प्लान में डीपीसीआर शामिल नहीं है, में अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी किये डीपीसीआर प्रभावी होगे।

2. राज्य सरकार द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 में अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 द्वारा जारी किये गये संशोधनों द्वारा मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/डीपीसीआर के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन की पूर्ण शक्तियां स्थानीय निकाय/निकाय स्तरीय समितियों को प्रदत्त की गई है। अतः कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू–रूपातंरण/नियमन, पट्टाशुद्वा/आबादी भूमि का चाहा गया भू–उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/डीपीसीआर के अनुसार अनुज्ञेय/अनुमति योग्य होने पर सक्षम स्तर से तकनीकी परीक्षण उपरान्त राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, भवन विनिमयों व अन्य तकनीकी प्रावधानों की अनुपालना करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर समस्त देय शुल्क वसूल कर स्थानीय निकाय स्तर पर ही प्रकरणों का निष्पादन किया जावे।

RajKaj Ref No.: 13007177

3. कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन तथा पट्टेशुदा/आबादी भूमि का चाहा गया उपयोग मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/डीपीसीआर के अनुसार अनुज्ञेय/अनुमति योग्य नही होने/तकनीकी मापदण्डों से भिन्न होने पर अर्थात सडक मार्गाधिकार, क्षेत्रफल डीपीसीआर के अनुसार नही होने, लेकिन टाउनशिप पॉलिसी/भवन विनिमयों, आदि के परिपेक्ष्य में अनुज्ञेय होने अथवा शिथिलता अपेक्षित होने तथा क्षेत्रीय विकास एवं आवश्यकताओं के क्रम में व्यापक जनहित का होने पर प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवायें जावेगें। ऐसे प्रकरणों में सभी नगरीय निकायों द्वारा निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेः–

(अ). नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाओं द्वारा प्रकरण निदेशक स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से तथा सभी प्राधिकरणों/न्यास द्वारा सीधे ही प्रकरण मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भेजे जावेगें।

(ब). राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रकरण राज–काज के माध्यम से ऑनलाईन ही भेजे जावेगें तथा प्रकरणों के संबंध में पत्राचार भी राजकाज के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा। प्रकरण के साथ संलग्न सभी दस्तावेज संबंधित निकाय द्वारा प्रमाणित होने तथा स्पष्ट व पठनीय होना सुनिश्चित किया जावें।

(स). प्रकरण के साथ निम्न दस्तावेज पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जावेः–

i. आवेदक द्वारा निकाय में प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति।

ii. स्वामित्व संबंधित दस्तावेजो यथा जमाबंदी, लीजडीड/पट्टा खसरा मानचित्र/अनुमोदित योजना मानचित्र आदि की प्रमाणित प्रति।

iii. आवेदित भूखण्ड की चारों दिशाओं की माप, भूमि से लगती हुई समस्त विद्य मान/प्रस्तावित सडकें, सडको की विद्यमान एवं प्रस्तावित चौडाई, भूखण्ड पर विद्यमान निर्माण मय सैट–बैक, एच.टी लाईन, नाला, नहर, जलाशय, गैस पाईप लाईन आदि दर्शाते हुए, भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल दर्शाते हुए प्रमाणित साईट प्लान।

iv. निर्धारित चैकलिस्ट–'अ' (संलग्न) में स्थानीय निकाय की व्यापक जनहित के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी।

v. निर्धारित चैकलिस्ट–'ब' (संलग्न) में क्षेत्रीय नगर नियोजन कार्यालय की व्यापक जनहित के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी एवं मास्टर प्लान पर स्थल अंकित कर प्रमाणित प्रति सहित।

RajKaj Ref No.: 13007177

vi. प्रस्तावित स्थल के आस–पास के चारों दिशाओं में 200 फीट के क्षेत्र का सर्वे मानचित्र जिसमें पूर्व मे स्वीकृत भू–उपयोग परिवर्तन/अनुमोदन/आवंटन, स्वीकृत योजना/पट्टे, एच.टी. लाईन, गैस पाईप लाईन, नाला/नहर/अन्य जलाशय, आस–पास के क्षेत्र के निर्माण मय मौका अनुसार उपयोग, सडक मय चौडाई आदि दर्शित करते हुए तथा रंगीन गूगल मानचित्र पर आवेदित स्थल अंकित करते हुए निकाय द्वारा प्रमाणित प्रति एवं आवेदित स्थल के 2 फोटोग्राफ।

vii. दो समाचार पत्रों में आवेदित भूमि का विवरण मय आवेदक का नाम आवेदित स्थल का विवरण, खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या, आवेदित क्षेत्रफल, आवेदित भूमि का मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार भू–उपयोग एवं उक्त उपयोग से भू–उपयोग परिवर्तन हेतु चाहा गया उपयोग का स्पष्ट अंकन करते हुए आपत्ति/सुझावों हेतु जारी की गई विज्ञप्तियों की प्रमाणित प्रति तथा प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण उपरान्त संबंधित निकाय स्तर पर निस्तारण कर, प्राप्त अपत्तियों व निस्तारण की प्रति।

viii. सभी प्रकरणो में आवेदक से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त कर भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। उक्त डीपीआर में आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट में प्रस्तावित इनवेस्टमेंट, संभावित रोजगार, प्रोजेक्ट की प्रस्तावित गतिविधियों, क्रियान्वयन की समयावधि आदि का संक्षिप्त विवरण तथा प्रोजेक्ट से क्षेत्र के विकास व आमजन को होने वाले लाभ का विवरण आदि का उल्लेख किया जावे।

ix. स्थानीय निकाय स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रकरण का भावी विकास, विद्यमान क्षेत्रीय विकास व आवश्यकताओं का आंकलन व परीक्षण उपरान्त प्रकरण किन कारणों से व्यापक जनहित का है, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए उक्त समिति की स्पष्ट अभिशंषा।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना सभी नगरीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार चैकलिस्ट–'अ' एवं 'ब'।

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर/

RajKaj Ref No.: 13007177

जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर ।

5. आयुक्त, नगर निगम, हैरिटेज/ग्रेटर, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त————————————————।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :16-01-2025 01:05:59

RajKaj Ref No.: 13007177

राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने/राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रकरण में नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली सूचना एवं अनुशंषा हेतु

चैक लिस्ट 'अ'।

विषयः–नगरीय क्षेत्र के .....राजस्व ग्रम.....के खसरा नं.....रकबा.....
का ..... से .....प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।

1.	आवेदन प्राप्ति का दिनांक :–	
2.	a) आवेदक का नाम यदि आवेदक स्वयं है। यदि आवेदन जरिये मुख्त्यारआम है तो मुख्त्यारनामे की प्रमाणित प्रति संलग्न है या नही है। b) यदि आवेदक कम्पनी है तो कम्पनी का पंजीबद्व प्रमाण पत्र, कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन की प्रमाणित प्रति एवं कम्पनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अधिकृत निदेशक के हित में जारी किया गया रेजोल्यूशन की प्रमाणित प्रति। c) यदि आवेदक फर्म/संस्था है तो पंजीबद्व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	
3.	आवेदित भूमि/भूखण्ड का विवरण/खसरा नम्बर मय ग्राम/तहसील व क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
4.	आवेदित भूमि का लागू मास्टर प्लान अथवा जारी लीजडीड/पट्टे के अनुसार भू–उपयोग	
5.	आवेदित भूमि का चाहे गये भू–उपयोग परिवर्तन का मास्टर प्लान के अनुसार श्रेणी का स्पष्ट विवरण	
6.	यदि प्रकरण पूर्व में संदर्भित किया गया हो तो उसका विवरण	
7.	भू–उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कर संलग्न है अथवा नहीं ?	
8.	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज a) स्वामित्व दस्तावेज यथा प्रमाणित जमाबन्दी, लीजडीड/पट्टा इत्यादि b) आवेदित भूमि व आस–पास मे स्थित खसरो को दर्शाते हुए खसरा ट्रेस की प्रमाणित प्रति। c) यदि आंशिक खसरा नं0 है तो पार्ट खसरा ट्रेस पर अंकन कर प्रमाणित प्रति d) साईट प्लान/लोकेशन प्लान एवं चारों ओर न्यूनतम 100–100 मीटर की दूरी तक का टोटल स्टेशन सर्वे e) प्रस्तावित भूमि जिस सडक पर स्थित है उस सडक की विद्यमान एवं प्रस्तावित चौडाई f) मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/योजना मानचित्र में आवेदित भूमि की स्थिति का अंकन g) आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर या अधिक होने के कारण विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) (जिसमें वित्तीय संसाधन का विवरण तथा प्रोजेक्ट क्रियान्विति का टाईम शेड्यूल का उल्लेख हो) की परीक्षण उपरान्त टिप्पणी सहित संलग्न है अथवा नहीं ?	
9.	a) आवेदित भूमि सह–खातेदारी भूमि है या नही। b) आवेदित भूमि गैर–खातेदारी भूमि है या नही। c) आवेदित भूमि गै.मु.नदी, तालाब, नाला से प्रभावित है या नही। d) आवेदित भूमि किसी अवाप्ति में है या नही। e) आवेदित भूमि पर कोई न्यायिक वाद विचाराधीन है या नही। f) आवेदित भूमि किसी औपचारिक तौर पर घोषित/प्रस्तावित योजना में है या नही। g) आवेदित भूमि सरकारी विभाग,जविप्रा, पीडब्ल्यूडी, एन.एच. ए.आई वन विभाग के स्वामित्व की है या नही। h) आवेदित भूमि की मौके की स्थिति i) भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर निर्माण विधमान हो तो नियमों एंव प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप है या नही के सम्बन्ध में रिपोर्ट।	
10.	स्वामित्व दस्तावेजों का परीक्षण कर स्थानीय निकाय की स्पष्ट टिप्पणी की स्वामित्व वैद्य है अथवा नहीं	

11.	आवेदित भूमि के आस–पास स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में भू–उपयोग उपान्तरण किया गया है, तो उसका विवरण मय भू–उपयोग मानचित्र पर अंकन।	
12.	यदि प्रस्तावित स्थल से एच.टी.लाईन/एल.टी.लाईन/ गैस पाईप लाईन गुजर रही है तो उसका सर्वे मानचित्र पर अंकन व नियमानुसार आवश्यक सुरक्षित दूरी छोडने के उपरान्त प्रस्तावित उपयोग हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध है अथवा नही	
13.	आवेदित स्थल का मुख्य सड़क से सम्पर्क बाबत रिपोर्ट:– a) आवेदित भूमि नेशनल /स्टेट हाईवे/ग्रामीण सड़क/अन्य सडक पर में से किस सड़क पर स्थित है। b) विधमान सड़क का मार्गाधिकार। c) सड़क का विवरण–डब्ल्यू.बी.एम/बी.टी. रोड़ आदि। d) प्रस्तावित उपयोग हेतु नियमानुसार आवश्यक पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई। e) यदि निकाय द्वारा वर्तमान पहुंच मार्ग को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है तो इस बाबत निकाय की टिप्पणी। f) मुख्य सड़क एवं प्रस्तावित स्थल के मध्य अन्य खातेदारों से भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज अथवा सड़क हेतु भूमि उपलबध कराये जाने के समबन्ध में सहमति पत्र/समर्पणनामा आदि का विवरण।	
14.	सीएलयू आवश्यक क्यों है ? a) आवेदित भूमि नगरीयकरण योग्य सीमा मे है अथवा नहीं b) मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भू– उपयोग। c) भू–उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू–उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्य। d) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के तहत उक्त प्रकरण व्यापक जनहित की श्रेणी में आता है अथवा नहीं।	
15.	आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञप्ति जिन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित की गई है, उनकी प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नहीं?	
16.	जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आपत्तियों की सूचना अपेक्षित है। यदि निर्धारित समयावधि में/पश्चात् प्राप्त हुए है, तो आपत्ति पर निकाय की बिन्दुवार राय/टिप्पणी की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नहीं ?	
17.	आवेदित भूमि के आस–पास के क्षेत्र को दर्शाते हुए नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही ?	
18.	स्थानीय निकाय स्तर/प्राधिकरण द्वारा गठित कार्यकारी समिति (ई.सी.मीटिंग) की बैठक में आवेदित भूमि के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नहीं ?	
19.	प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में माननीय उच्च/अन्य न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के तहत कोई रोक तो नहीं है, बाबत् परीक्षण कर स्पष्ट टिप्पणी।	
20.	उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में स्थानीय निकाय की स्पष्ट अनुशंषा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी।	
21.	अन्य सूचना	

दिनांक :

हस्ताक्षर (संबंधित सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी)

राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रकरण में वरिष्ठ/उप नगर नियोजक द्वारा दी जाने वाली सूचना के तहत

चैक लिस्ट 'ब'।

विषयः–नगरीय क्षेत्र के .....राजस्व ग्रम.....के खसरा नं.....रकबा.....का..... से .....प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्–आवेदक श्री .....

1.	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान अनुसार भू–उपयोग	
2.	आवेदित भूमि का प्रस्तावित भू–उपयोग	
3.	मौके पर आवेदित भूमि का वर्तमान में वास्तविक उपयोग	
4.	संबंधित शहर/कस्बे के भू–उपयोग मानचित्र के संबंध में सूचना यथा–प्रारूप अथवा राज्य सरकार से अनुमोदित, लागू होने का वर्ष, क्षितिज वर्ष आदि।	
5.	आवेदित भूमि के क्षेत्र का जोनल डवलपमेन्ट प्लान अथवा सेक्टर रोड़ नेटवर्क प्लान के संबंध में सूचनाः– a) जोनल डवलपमेन्ट प्लान अथवा सेक्टर रोड़ नेटवर्क प्लान बना हुआ है अथवा नहीं b) निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित है अथवा नहीं c) जोनल डवलपमेन्ट प्लान अथवा सेक्टर रोड़ नेटवर्क प्लान अनुसार आवेदित भूमि हेतु उपलब्ध पहुंच सड़क की चौड़ाई।	
6.	आवेदन पत्र के साथ भूमि का साईट प्लान, स्वामित्व के दस्तावेज, प्रस्तावित भूमि जिस सड़क पर स्थित है, उक्त सड़क की विद्यमान, एवं प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी तथा मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सैक्टर प्लान/योजना मानचित्र में आवेदित भूमि का अंकन।	
7.	यदि प्रकरण पूर्व में संदर्भित किया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण	
8.	आवेदित भूमि के आस–पास स्थानीय निकाय द्वारा भू–उपयोग उपान्तरण किया गया है, तो उसका विवरण मय भू–उपयोग मानचित्र पर अंकन कर प्रमाणित प्रति।	
9.	यदि प्रस्तावित स्थल से एच.टी.लाईन/एल.टी.लाईन/ गैस पाईप लाईन गुजर रही है तो उसका सर्वे मानचित्र पर अंकन व नियमानुसार आवश्यक सुरक्षित दूरी छोडने के उपरान्त प्रस्तावित उपयोग हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध है अथवा नही	
10.	आवेदित स्थल का मुख्य सड़क से सम्पर्क बाबत रिपोर्टः– a) आवेदित भूमि नेशनल /स्टेट हाईवे/ग्रामीण सड़क पर में से किस सड़क पर स्थित है। b) विधमान सड़क का मार्गाधिकार। c) सड़क का विवरण–डब्ल्यू.बी.एम/बी.टी. रोड़ आदि। d) प्रस्तावित उपयोग हेतु नियमानुसार आवश्यक पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई। e) यदि वर्तमान पहुंच मार्ग को निकाय द्वारा चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है तो इस बाबत निकाय की टिप्पणी। f) मुख्य सड़क एवं प्रस्तावित स्थल के मध्य अन्य खातेदारों से भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी दस्तावेज अथवा सड़क हेतु भूमि उपलबध कराये जाने के समबन्ध में सहमति पत्र/समर्पणनामा आदि का विवरण।	
11.	भू–उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू–उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र की के संबंध में विरतृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यं।	
12.	सीएलयू आवश्यक क्यों है ? a) आवेदित भूमि नगरीयकरण सीमा मे है अथवा नहीं b) मास्टर प्लान अनुसार आवेदित भूमि को भू– उपयोग। c) भू–उपयोग मानचित्र में आवेदित भूमि जिस भू–उपयोग हेतु आरक्षित है उक्त क्षेत्र की के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट यथा वर्तमान स्थिति, भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्यं। d) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के तहत उक्त प्रकरण व्यापक जनहित की श्रेणी में आता है अथवा नहीं।	
13.	आवेदित भूमि के आस–पास के क्षेत्र का विस्तृत टोटल स्टेशन सर्वे मय नवीनतम रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमे वर्तमान में हो चुके निर्माण की स्थिति, पहुंच सडक की विद्यमान चौडाई,	

	भौतिक स्थिति आदि दर्शित हो, की प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही ?	
14.	स्थानीय निकाय की अनुशंषा एवं प्रकरण के तथ्यों के क्रम में क्षेत्रीय नगर नियोजन कार्यालय की भू–उपयोग परिवर्तन बाबत् स्पष्ट अनुशंषा मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी।	
15.	स्थानीय निकाय से पूर्ण प्रकरण मय अनुशंषा प्राप्त होने का दिनांक	
16.	अन्य सूचना	

दिनांक :

हस्ताक्षर (संबंधित वरिष्ठ/उप नगर नियोजक)
क्षेत्रीय कार्यालय, नगर नियोजन विभाग,